रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D, (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 1991/माघ 4, 1912
No. 6] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 1991/MAGHA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

न्यू बैंक ऑफ इंडिया

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1991

स. 5011 —बैंककारी कपनी (उपक्रमो का अर्जन और अतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा-19 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए न्यू बैंक ऑफ इडिया का निदेशक मडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्वस्वीकृति से एतद्द्वारा न्यू बैंक ऑफ इडिया अधिकारी, कर्मचारी विनियम, 1982 मे निम्नलिखित और संशोधन करता है ।

2 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(i) यह विनियम न्यू बैंक ऑफ इडिया (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1987 कहे जाएगे।

(ii) यह सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से लागू होगे ।

3. विनियम 21 मे सशोधन

1-11-87 को एवं से मंहगाई भत्ता निम्नानुसार देय होगा .—

(i) महगाई भत्ता, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 600 (आधार 1960-100) मे 4 अंको की उतार चढ़ाव पर संदेय होगा ।

(ii) महगाई भत्ता निम्नांकित दर से देय होगा :—

(1) 2500/ रु तक "वेतन" का 0.67%, जमा

(2) 2500/- रु से 4000/- रु. तक "वेतन" का 0.55%, जमा

(3) 4000/- रु से 4260/- रु तक "वेतन" का 0 33%, जमा

(4) 4260/- रु से अधिक "वेतन" का 0.17%

4 विनियम 22(2) मे सशोधन

1-1-90 को एवं से, जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास उपलब्ध नही कराया गया है तो वह निम्नलिखित दरो से मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा —

कॉलम I जहा कार्यस्थल इनमे से कही हो	कॉलम II देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शी निर्देशो के अनुसार प्रमुख "क" श्रेणी के शहर एव क' ग्रुप मे परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	वेतन का 14% किंतु अधिक से अधिक 450/- रु प्रतिमाह
(ii) क्षेत्र I मे अन्य स्थान एव ख' ग्रुप मे परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	वेतन का 12% किंतु अधिक से अधिक 375/- रु प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र-II एव राज्यो की राजधानिया एव सघ राज्य क्षेत्रो की राजधानिया जो उपर्युक्त (i) एव (ii) मे नही आती	वेतन का 10% किंतु अधिक से अधिक 325/- रु प्रतिमाह
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 8% परंतु अधिक से अधिक 300/- रु प्रतिमाह

बशर्ते कि यदि एक अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा आवास हेतु अपने ग्रेड के मूल-वेतन के प्रथम चरण के 6% से अधिक दिए गए वास्तविक किराए या उपरोक्त कॉलम II मे इगित अधिकतम देय मकान-किराया भत्ते का 175% जो भी कम हो, होगा ।

स्पष्टीकरण

1 (ख) 1-4-1990 से जहा निवास स्थान बैंक ने किराए पर लिया है वहा बैंक द्वारा देय सविदागत किराया या उपरोक्त (क) की प्रक्रिया के अनुसार परिगणित किराया, जो भी कम हो

2 इस विनियम मे एव विनियम 23 के अतर्गत क्षेत्र I, क्षेत्र II एव क्षेत्र III का अर्थ निम्नानुसार होगा --

क्षेत्र I--वह स्थल जहा जनसख्या 12 लाख से अधिक है ।

क्षेत्र-II--क्षेत्र I मे शामिल शहरो को छोडकर समस्त शहर जिनकी जनसख्या 1 लाख एव उससे अधिक है ।

क्षेत्र III--क्षेत्र-I एव क्षेत्र-II मे शामिल न किए गए समस्त स्थान

5 विनियम 24 मे सशोधन

(i) प्रत्येक अधिकारी अपनी एव अपने कुटुम्ब के लिए, उसके द्वारा वास्तव मे व्यय की गई चिकित्सीय व्यय राशि की प्रतिपूर्ति का निम्नलिखित आधार पर पात्र होगा, अर्थात् --

(क) चिकित्सीय व्यय

1-1-90 को एव से, नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ I मे विनिर्दिष्ट वेतनमान म किसी अधिकारी एव उसके कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति स्वय अधिकारी के ही इस प्रमाणपत्र के आधार पर कि उसने वास्तव मे ऐसा व्यय किया है, जिसके समर्थन मे दावाकृत राशि के लिए लेखा विवरण दिया जाएगा, तालिका के स्तम्भ II मे विनिर्दिष्ट सीमा तक, की जा सकेगी --

तालिका

वेतन	वार्षिक प्रतिपूर्ति की सीमा
रु 2100-से 3060/-रु प्रतिमाह	रु 750/-
रु 3061/- प्रतिमाह एव इससे ऊपर	रु 1000/-

नोट किसी अधिकारी को ऐसी चिकित्सीय सहायता का, जिसका लाभ नही उठाया गया है किसी समय उपरोक्त वर्णित अधिकतम राशि के अधिक से अधिक तीन गुणा तक सचित किए जाने की अनुमति दी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के "कुटुम्ब' का अभिप्राय केवल पति-पत्नी पूर्णतया आश्रित सतान एव पूर्णतया आश्रित माता-पिता होगा ।

(ख) अस्पताल मे भर्ती व्यय

(i) 1-4-89 को एव से अस्पताल मे भर्ती प्रभारो की, किसी अधिकारी के स्वय के मामले मे 90% तक एव उसके कुटुम्ब के सदस्यो के मामले मे 60% तक प्रतिपूर्ति उन मामलो मे की जाएगी जिनमे अस्पताल मे भर्ती किया जाना अपेक्षित है । यह प्रतिपूर्ति व्यय के बिलो वाउचरो आदि के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी निर्देशो के अनुसार निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा तक की जाएगी ।

(ii) अधिकारियो अथवा उनके पारिवारिक सदस्यो से (जैसा भी मामला हो) से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी या नगर-निगम या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, पूर्ति सस्था या धार्मिक मिशन के प्रबधाधीन अस्पतालो, मे भर्ती हो । किंतु अपरिहार्य परिस्थितियो मे अधिकारी, अथवा उनक कुटम्ब के सदस्य या दोनो किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पालो की सेवाओ का साभ उठा सकते है किंतु ऐसे मामलो मे प्रतिपूर्ति उसी राशि तक सीमित होगी जिसकी उस दशा मे प्रतिपूर्ति की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित अस्पतालो मे से किसी मे भर्ती किया जाता ।

(iii) 1-4-89 को एव से, जहा मान्यताप्राप्त अस्पताल प्राधिकारियो तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि निम्नलिखित बीमारियो के सबध मे, जिनमे आवासीय उपचार करवाए जाने की आवश्यकता है किए गए व्यय को अस्पताल मे किए गए व्यय के समान माना जाएगा और अधिकारी के स्वय के मामले मे 90% तथा उसके परिवार के सदस्य के मामले मे 60% तक के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी --

कैंसर, तपेदिक, लकवा, हृदय रोग, रसौली, चेचक, प्लयुरेसी, डिप्थिरिया, कुष्ट रोग, गुर्दे सबधी रोग ।

6 विनियम 33(4) मे सशोधन

1-1-90 को एवं से, विशेषाधिकार अवकाश, वहां से अतिरिक्त जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और अवकाश अस्वीकृत किया गया है, 240 दिन से अधिक संचित नहीं हो सकेगा।

खुशाल सिंह, सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)

NEW BANK OF INDIA

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1991

No. 5011.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, the Board of Directors of New Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend New Bank of India Officers Service Regulations, 1982.

2. Short Title and Commencement:—(i) These Regulations may be called New Bank of India Officers Service (Amendment) Regulations, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. Amendments to Regulation 21

On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under:—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates:—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

4. Amendment to Regulation 22(2)

On and from 1-1-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates:—

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
1	2
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay subject to to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.

Explanation:

(1) (b) With effect from 1-4-1990 where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under:-

Area I —Places with a population of more than 12 lakhs

Area II —All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more

Area III —All places not included in Area I and Area II.

5. Amendment to Regulation 24

(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely:—

(a) Medical Expenses:

On and from 1-1-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof:

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/- p.m. and above.	Rs. 1000

Note: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation:

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses:

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case an officer and 60% in the case of his family members:

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

6. Amendment to Regulation 33(4)

On and from 1-1-1990, Privilege Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

KHUSHAL SINGH, Asstt. Gen. Manager
(Personnel)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991